

(मूल वाद में डिक्री)()

डिक्री व मुकदमे इबतदाई

(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedaur Code Appendix 'D' -I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

श्रीमत्पुनाश पुत्र शमोनापण श्रील ठिवानी लिटल

बनाम

रहनीलमा बुधारा

दावा बाबत :- घोषणापत्र बाब 88 RTA

मुकदमा नम्बर :- 184/2021

निर्णय दिनांक :- 10-11-21

वादी की ओर से त्वपे की व रहनीलमा की ओर से की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10-11-21 को सुनील कुमार चौहान (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के समक्ष श्रीमत्पुनाश निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

" वादवादी डिक्री दिया जात है डि ग्राम लोहली लिटल श्रीमत्पुनाश 393 रकम 0.09 ई में शमोनापण पुत्र शमोनापण के हस्त पर शमोनापण पुत्र शमोनापण दुलह मल (वालेड) के लिये दिया जात है। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10-11-21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)